11 4/22

पंचायती वकील पार्टी के मूलवाद में निर्णय तलबी आवेदन पत्र पेश हुई। उक्त प्रकरण से सम्बन्धित मूलवाद वकील पार्टी के NOCPROOF न खारिज हो चुका है इसलिए आवेदन U/RTA का कोई औचित्य नहीं है अतः आवेदन U/RTA का खारिज किया जाता है पंचायती फैसल का खारिज किया जाता है पंचायती फैसल मुमार होकर नकल से कम होकर पंचित दफ्तर हो

उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ